[2016] 2 एससीआर 1052

हेमंत मधुसूदन नेरुरकर

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(2016 की आपराधिक अपील संख्या 442)

मई 04, 2016

[जगदीश सिंह खेहर और सी. नागप्पन, जे.जे.]

कारखाना अधिनियम 1948 - धारा 92 - अपराधी के लिए सामान्य दंड - कारखाना क्षेत्र का मुआयना- उसमे संविदा श्रमिक लगाये पाए गए- कुछ त्रुटी बताई गयी- मालिक एवं प्रबंधक के बिच संज्ञान- इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका- आवेदक इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बंधित सभी दोष दूर कट दिए- इस तरह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलार्थी गण की प्रार्थना उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करने के लिए खारिच किया जाना, हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है अपिलार्थियो के धर 92 के तहत सजा के तौर पर लम्बा विचारण का सामाना करने की बजाय, यह न्यायालय अपीलकर्ताओ पर एक उचित सजा लगाने की उपयुक्तता पर विचार कर सकता है। उपरोक्त उलंघनो को स्वीकार करके धारा 92 के आदेश के आरोप में प्रत्येक अपीलार्थी पर 50 हजार रुपया का जुर्माना न्याय का तकाज़ा पूरा करेगा बिहार कारखाना नियम 1950 दिल्ली क्लोथ और जनरल मिल कंपनी लिमिटेड बनाम मुक्य आयुक्त दिल्ली एवम् अन्य 1970 (2) SCR 348:(1970)2 SCC 172

जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम फैक्ट्रियों और बॉयलरों के मुख्य निरीक्षक और अन्य 1996 (6) पूरक एससीआर 798: (1996) 6 एससीसी 665 को संदर्भित किया गया।

केस लॉ संदर्भ

1970 (2) एससीआर 348	संदर्भित	पैरा 5
1996 (6) पूरक एससीआर 798	संदर्भित	पैरा 11

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2016 की आपराधिक अपील संख्या 442।

दंड प्रक्रिया संघिता की धारा 482 में दाखिल आवेदन सी.आर ऍम..नंबर 1987/.2014. में झारखण्ड उच्च न्यायालय के फैसला एवं आदेश दिनांक 09.03.2014.

के. वी. विश्वनाथन, सीनियर एडवोकेट. अभिजीत सिन्हा, अरिजीत मजूमदार, अभिनव मुखर्जी, शंबो नंदी, अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट।

. तापेश कुमार सिंह, मो. उत्तरदाताओं के लिए वाकस, एडव्स।

न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा दिया गया था?

जगदीश सिंह खेहर, जे. दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी गई

"3. ऐसा प्रतीत होता है कि 14.09.2013 को मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड की ग्रोथ शॉप में एक निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया था कि फैब्रिकेशन यार्ड नं.1 लगभग 1,00 ठेका श्रमिकों को लगाया गया। तथापि, जांच करने पर निरीक्षण दल की जानकारी में यह आया कि यद्यपि प्रबंधन ने उनसे समयोपरि सेवा ले ली थी, लेकिन कारखाना नियमावली, 1950 के अनुसार E(प्रपत्र-I ओवर टाइम: पर्ची प्रदान नहीं की गई है, जो कारखाना नियम, 1950 के नियम 103 ए का उल्लंघन है। निरीक्षण दल ने यह भी पाया कि ठेका श्रमिकों को कारखाना नियमावली के फार्म-15 में छुट्टी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जो कि उल्लंघन है (ii) झारखंड कारखाना नियम, 1950 के नियम 88 के पैरामीटर। यह भी आरोप लगाया गया है कि कैंटीन के निरीक्षण पर निम्नलिखित कमियां पाई गईं

(a) डाइनिंग हॉल और सर्विस काउंटर में महिला श्रमिकों के लिए कोई विभाजन नहीं है।

(b) कैंटीन के दरवाजे और खिड़कियां फ्लाई प्रूफ नहीं हैं।

(c) मेन्यू चार्ट, रेट और कैंटीन के प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम बोर्ड पर नहीं बताए गए हैं। (घ) बर्तनों की धुलाई के लिए गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

3. उपरोक्त आरोपों के आधार पर, कब्जेदार हेमंत मधुसूदन नेरुरकर (2016 की आपराधिक अपील संख्या 442 में अपीलकर्ता) के खिलाफ संज्ञान लिया गया था - ए के एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6410 से उत्पन्न 2015), और प्रबंधक रूपम भादुड़ी (आपराधिक में अपीलकर्ता)

2016 की अपील संख्या 443 - एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6406 से उत्पन्न

4. स्पष्ट रूप से तुच्छ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जिन पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की गई थी, इस न्यायालय ने सुनवाई की पहली तारीख पर, यानी 14.08.2015 को,

निम्नलिखित आदेश दर्ज किया: "याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री केवी विश्वनाथन और झारखंड राज्य के विद्वान स्थायी वकील श्री तपेश कुमार सिंह को सुना।

पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, यह निर्देश दिया जाता है कि संबंधित निरीक्षक कारखाने के परिसर का सत्यापन करेगा और पता लगाएगा कि उसके द्वारा बताई गई खामियों को ठीक किया गया है या नहीं।

मामले को सितम्बर, 201 के प्रथम सप्ताह में सूचीबद्ध करें।

रजिस्ट्री को श्री तापेश कुमार के नाम को प्रतिबिंबित करने का निर्देश दिया जाता है सुनवाई की अगली तारीख पर सिंह को वाद सूची में शामिल किया जाएगा।

5. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि इसे पारित करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि कोई उल्लंघन हो तो उसे ठीक किया जाए। ऐसा लगता है, कि उपरोक्त कार्रवाई दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम मुख्य आयुक्त, दिल्ली और अन्य में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर की गई थी, (1970) 2 एससीसी 1 72 में रिपोर्ट किया गया था, इस कारण से, अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और अनियमितताओं को ठीक करने का अवसर दिया जाना चाहिए था, और केवल अगर वे कारखाना अधिनियम, 1948 और नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे थे, तो यह अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों के लिए खुला होगा।

6. दिनांक 14.08.2015 के बाद यह मामला 30 नवम्बर 2015 को विचारार्थ आ या जिस तारीख को मोशन बेंच ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: "याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी दोषों को दूर कर दिया है, लेकिन अनुबंध श्रम से संबंधित दो दोषों को अभी तक दूर नहीं किया गया है क्योंकि बोझ कानून के तहत ठेकेदार पर है।

श्री सिन्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री तापेश कुमार सिंह के साथ राज्य के विद्वान वकील इस संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे।

मामले को जनवरी 2016 के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए।

7. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है किठेका श्रमिकों से सं बंधित दो दोष A को हटाया नहीं गया था। जहां तक मामले के तात्कालिक पहलू का संबंध है, अपीलकर्ताओं के विद्वान

वकील का यह कहना है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए ये दो आरोप उस ठेकेदार की जिम्मेदारी थी जिसने ठेका श्रम प्रदान किया था। और, अपीलकर्ताओं का नहीं।

8. अंत में, मामला 27.4.2016 को विचार के लिए आया, जब इस न्यायालय ने निम्नानुसार आदेश दिया:

"याचिकाकर्ता (ओं) के विद्वान वकील ने कहा है कि अनुबंध श्रमिकों के संदर्भ में उल्लंघन, पैराग्राफ 3 में दर्शाया गया है *आक्षेपित निर्णय के मामले को आज से चार दिनों के भीतर ठीक कर लिया जाएगा, और यह कि मामले को 4.5.2016 को फिर से सुनवाई के लिए लिया जा सकता है।*

4.5.2016 को फिर से सूचीबद्ध करें।

9. प्रस्ताव पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में

आदेश दिनांक 27.4.2016 में, दोनों अपीलकर्ताओं की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुबंध श्रम से संबंधित दो दोषों को भी ठीक कर दिया गया है। . . .

10. पूर्वोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं को अभी भी अधिनियम की धारा 92 के तहत दंडित किया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:

"92. अपराधों के लिए सामान्य दंड - इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर और धारा 93 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यदि किसी कारखाने में या उसके संबंध में, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का कोई उल्लंघन है या . लिखित रूप में दिया गया कोई भी आदेश, कब्जा करने वाला और प्रबंधक F(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक कारखाने का कारखाना किसी अपराध का दोषी होगा और कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और यदि दोषसिद्धि के बाद भी उल्लंघन जारी रखा जाता है तो और जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिस दिन उल्लंघन जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा;

परन्तु जहां अध्याय IV के उपबंधों में से किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति कारित हुई है वहां उस दशा में जुर्माना पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में, और गंभीर शारीरिक चोट के कारण दुर्घटना के मामले में पांच हजार रुपये।

स्पष्टीकरण - इस खंड में और धारा 94 में "गंभीर शारीरिक चोट" का अर्थ है एक चोट जिसमें शामिल है, या सभी संभावना में, किसी भी अंग के उपयोग का स्थायी नुकसान, या स्थायी चोट, या स्थायी चोट, दृष्टि या श्रवण, या किसी भी हड्डी का फ्रैक्चर, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा, हाथ या पैर के किसी भी फालंगेस की हड्डी या जोड़ का फ्रैक्चर (एक से अधिक हड्डी या जोड़ का फ्रैक्चर नहीं होना)।

I । जहां तक मुद्दों की गंभीरता का सवाल है, झारखंड राज्य के विद्वान सी वकील, श्री तापेश कुमार सिंह का जोरदार तर्क है कि अपीलकर्ताओं के हाथों किए गए उल्लंघन को तुच्छ नहीं कहा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था, कि अधिनियमन . संदर्भ के तहत एक प्रशंसनीय भूमिका है, क्योंकि यह कारखानों में लगे श्रमिकों को उचित सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित है, और कारखाने के कर्मचारियों के परिलब्धियों को विनियमित करने के उपाय प्रदान करता है। इस संबंध में, उत्तरदाताओं के लिए सीखा वकील जेके इंडस्ट्रीज लिंटेड और अन्य बनाम कारखानों और बॉयलर और अन्य के मुख्य निरीक्षक और अन्य में प्रदान किए गए इस न्यायालय के एक निर्णय पर निर्भरता रखी है, (1996) 6 एससीसी 665 में रिपोर्ट की गई, और उसके तहत दर्ज निम्नलिखित टिप्पणियों पर निर्भरता रखी:

"40. अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो अनिवार्य रूप से श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए हैउनका शोषण , बंद करो अधिनियम में जनहित में कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। किसी संविधि च में प्रतिबंध प्रदान करना एक निरर्थक औपचारिकता होगी जब तक कि संविधि में इसके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान भी शामिल न हो। कोई भी प्रतिबंध तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि इसके अनुपालन के लिए बाध्य करने वाली कोई मंजूरी न हो और अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दायित्वों के उल्लंघन के लिए दंड लगाने का प्रावधान प्रतिबंधों का एक सहवर्ती और आवश्यक प्रभाव न हो। ऐसा प्रावधान अधिनियम की धारा 92 में निहित है, जिसमें अधिनियम के तहत उन अपराधों के लिए दंड के लिए एक सामान्य प्रावधान शामिल है जिनके लिए कहीं और कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है और अधिनियम के तहत किए गए सभी या किसी भी अपराध के लिए एक समान दंड निर्धारित करना चाहता है। अधिनियम के तहत अपराधों में (i) अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन शामिल है; (२) कोई नियम बनाया गया

इसके तहत: और (3) उसके तहत लिखित रूप में कोई आदेश। यह इसमें चूक और कमलीकरण दोनों कार्य शामिल हैं। इस धारा के अंतर्गत दंडनीय व्यक्ति अधिभोगी और अपराधी हैं, इस प्रश्न के बावजूद कि वास्तविक अपराधी कौन है। यह प्रावधान, अधिनियम की योजना के अनुरूप है ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जिनका कारखाने के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है ताकि यह देखा जा सके कि अधिनियम के तहत विभिन्न कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के अलावा कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण की आवश्यकताओं को पूरी तरह से और उचित रूप से पूरा किया जाता है। धारा 92 किसी भी अपराध के लिए अधिभोगी और प्रबंधक के संयुक्त दायित्व पर विचार करती है, इस तथ्य के बारे में कि अपराध के लिए सीधे कौन जिम्मेदार है। तथ्य यह है कि अधिसूचित / . अभिज्ञात निदेशक कारखाने के 'प्रबंधन' के बारे में अनभिज्ञ है जो एक प्रबंधक या सोलन अन्य कर्मचारी को सौंपा गया है और उल्लंघन के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं है, उसे अपनी देयता से मुक्त नहीं किया जा सकता है। अभिनिर्धारित/अधिसूचित निदेशक को अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा इसके अधीन लिखित रूप में अपराधी कंपनी, जो कारखाने की अधिभोगी है, के लिए किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।

41 . श्री जैन, श्री नरीमन और श्री त्रिपाठी, अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए, हालांकि, तर्क दिया कि चूंकि धारा 92 अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या लिखित रूप में दिए गए किसी भी आदेश के उल्लंघन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से कारावास और/या जुर्माना लगाती है, इसलिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि क्या अधिभोगी (अधिसूचित निदेशक) या प्रबंधक, के संबंध में कोई मासिक धर्म था Fयह उल्लंघन या यह कि उल्लंघन उसके द्वारा नहीं किया गया था या कारखाने में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी, सहमति या मिलीभगत के बिना किया गया था, यह एक अनुचित

प्रतिबंध है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आपराधिक कानून में, प्रत्याशित दायित्व का सिद्धांत अज्ञात है और यदि किसी निदेशक को किसी ऐसी चीज के लिए दंडित किया जाना है, जिसके लिए वह वास्तव में दोषी नहीं है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा। यह आग्रह किया गया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण, अधिकांश कंपनियां कारखानों को चलाने के लिए पेशेवर रूप से योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करें और ऐसे व्यक्ति को कारखाने के 'अधिभोगी' के रूप में नामित करें और उसे बनाएं अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और इसलिए, कंपनी के किसी भी निदेशक को पकड़ना कठोर और अनुचित होगा, जो पूरी तरह से निर्दोष हो सकता है, अधिनियम आदि के तहत किए गए उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी हो सकता है, जब वह कारखाने में क्या हो रहा था, इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ हो सकता है कि कारखाने के मामलों का नियंत्रण ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को सौंप दिया गया है, उस अधिकारी या कर्मचारी के दायित्व की अनदेखी करके। तर्क ईनोशनल और आकर्षक है लेकिन ध्वनि नहीं है।

42.अधिनियम के तहत अपराध सामान्य दंड कानून का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन एक विशेष लाभकारी सामाजिक रक्षा कानून में प्रदान किए गए कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं, जो निरपेक्ष या ग बनाता

अपराध सख्त वैधानिक अपराध हैं जिनके लिए दुराशय की स्थापना एक आवश्यक घटक नहीं है। वैधानिक उल्लंघन की चूक या कमीशन अपने आप में अपराध है। इसी प्रकार के अपराध जो सख्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसका अर्थ है चूक या दुराशय के बिना दायित्व, आर्थिक अपराधों से संबंधित कई कानूनों के साथ-साथ उद्योग, खाद्य अपमिश्र, प्रदूषण निवारण आदि से संबंधित कानूनों में मौजूद हैं। भारत में और विदेशों में। $ निरपेक्ष अपराध किसी भी वास्तविक अर्थ में आपराधिक अपराध नहीं हैं बल्कि ऐसे कार्य हैं जो जनता के कल्याण के हित में निषिद्ध हैं और निषेध दंड की मंजूरी द्वारा समर्थित है। ऐसे अपराधों को आम तौर पर लोक कल्याणकारी अपराधों के रूप में जाना जाता है। आरएस जोशी बनाम अजीत मिल्स (एआईआर 1977 (एससी), 2279, पृष्ठ 2287 पर एससीसी पी 1 10, पैरा 19) में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ:

"यहां तक कि हम इस धारणा को खारिज कर सकते हैं कि एक दंड या सजा को पूर्ण या दोष् रहित दायित्व के रूप में नहीं डाला जा सकता है

बल्कि दुराशय द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। शास्त्रीय दृष्टिकोण कि 'नो मेन्स री नो क्राइम' बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और भारत और विदेशों में कई कानूनों, विशेष रूप से आर्थिक अपराधों और विभागीय दंड के संबंध में, ने गंभीर दंड बनाए हैं, यहां तक कि अपराधों से दुराशय को बाहर करने के लिए परिभाषित किया गया है। इसलिए, यह तर्क कि धारा 37 (1) भारी दायित्व को बांधती है, चाहे गलती हो का कोई बल नहीं है.....

43.अधिनियम के तहत जो दंडनीय बनाया गया है वह कब्जेदार का 'निंदनीय' आचरण है जिसके परिणामस्वरूप वैधानिक अपराध किया गया है और न कि ऐसा करने का उसका आपराधिक इरादा है . 1059

अपराध। सख्त दायित्व का नियम अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए लागू होता है और अधिभोगी को प्रबंधक और वास्तविक अपराधी, जैसा भी मामला हो, के साथ परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। पेनल्टी एक्टस रीस का अनुसरण करती है, मेन्स-री .अप्रासंगिक।हो जाती है

12. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त घोषणा के मद्देनजर, हमारा विचार है कि हमारे लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए हम इसकी पुष्टि करते हैं।

13. हमारे उपरोक्त निष्कर्ष के बावजूद, अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील

बताते हैं, कि तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट है, और यह कि, अपीलकर्ताओं को एक लंबी सुनवाई का सामना करने की आवश्यकता के बजाय, यह न्यायालय अपीलकर्ताओं पर एक उचित सजा लगाने की उपयुक्तता पर विचार कर सकता है, उपरोक्त उल्लंघनों को स्वीकार करके, पैराग्राफ 3 में सारांशित .आक्षेपित आदेश।

14. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील - झारखंड राज्य का कहना है कि उन्हें अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है।

15. अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अपना विचारशील विचार करने के बाद, हम संतुष्ट हैं, कि अधिनियम की धारा 92 के जनादेश के संदर्भ में; यदि अपीलकर्ताओं पर 50,000 रुपये प्रत्येक पर, का जुर्माना लगाया जाता है, तो न्याय का तकाज़ा पूरा हो जाएगा। तदनुसार आदेश दिया। जुर्माने की उपरोक्त राशि अपीलकर्ताओं द्वारा आज से चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमा की जाएगी।

16. बिचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्तावों द्वारा अर्थ दंड की राशि जमा करने के पश्चात , वर्तमान आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायकेला के न्यायालय में लंबित अपीलकर्तावों के बिरूद्ध आपराधिक कार्यवाही जी. ओ वाद संख्या. 252/2013 का भी निष्पादन करेगा।

पूर्वोक्त शर्तों में निपटाया गया।

निधि जैन अपील का निपटारा कर दिया गया।

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।